



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 11 अप्रैल, 2024

थाना कोतवाली देहात

अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड 01 शातिर बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि बरामद।

जनपद में अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 10/11.04.2024 की रात्रि में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अगरपुर मिर्जापुर छोटी सराय को जाने वाले रास्ते पर जूट मील के खण्डहर से 01 अभियुक्त को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरण आदि सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मुअसं- 204/24 धारा 5/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. शानू उर्फ शाहनवाज उर्फ दिल्ली पुत्र शरीफ निवासी मौ० आनन्द बिहार, 40 फुटा रोड़ थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 06 तमंचे 12 बोर मय 02 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस
- 2- 02 अधबने तमंचे 12 बोर
- 3- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण-** 04 नाल (लोहे की), 01 प्लास, 01 रेती (लोहे की), 02 हथोड़ा (छोटा व बड़ा), 01 संडासी, 01 छैनी, 01 लोहे का ठिया, 01 लोहा काटने की आरी, 02 लोहा काटने की आरी के ब्लैड, 02 पेचकस, 02 इमरजेन्सी लाइट, 02 लकड़ी के टूकड़े, 01 गैस स्लैण्डर मय बरनर (05 किलो का), पैंच, 04 टुकड़े रेगमार्क आदि।

गिरफ्तार अभियुक्त शानू उर्फ शाहनवाज उर्फ दिल्ली का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 471/18 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 50/20 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं- 220/20 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं- 1021/20 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 247/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
6. मुअसं- 213/22 धारा 4/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
7. मुअसं- 356/22 धारा 323/427/504/506 भादवि थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं- 751/22 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
9. मुअसं- 188/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
10. मुअसं- 711/23 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।
11. मुअसं- 95/24 धारा 60 आबकारी अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।
12. मुअसं- 204/24 धारा 5/25 शस्त्र अधि० थाना कोतवाली देहात जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि उनके द्वारा तमंचे तैयार कर उन्हें 5 से 7 हजार रुपये में बेचकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जाता है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. श्री सोमवीर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली देहात
2. उ०नि० राहुल कौशिक
3. है०का० अनुज कुमार



मीडिया सेल बुलंदशहर